

भारत संघ और अन्य।

बनाम

बृज लाल ठाकुर

17 मार्च 1997

[के. रामास्वामी और जी. टी. नानावती, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून।

आरक्षण — रेलवे अस्पताल — ई.सी.जी. तकनीशियन का पद — थिएटर सहायक के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जाना — रोस्टर के चक्रानुक्रम के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए अग्रसारित रिक्ति आरक्षित — आयोजित व्यापार परीक्षण में अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उपयुक्त पाया गया और पदोन्नत किया गया — असफल अभ्यर्थी ने यह कहते हुए नियुक्ति को चुनौती दी कि चूँकि पद एकल है, अतः रोस्टर के अनुसार आरक्षण असंवैधानिक है — न्यायधिकरण ने दावा स्वीकार कर नियुक्ति अपास्त कर दी — अभिनिर्धारित — 40 बिंदु रोस्टर तथा चक्रानुक्रम के नियम को लागू करते हुए ई.सी.जी. तकनीशियन के एकल पद पर पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी पर विचार करना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16(1) का उल्लंघन नहीं है — पदोन्नति विधिसंगत एवं वैध है — न्यायधिकरण का आदेश अपास्त किया जाता है — भारत का संविधान — अनुच्छेद 14 एवं 16(1)।

भारत संघ एवं एक अन्य. वी. माधव पिता- गजानन चौबल एवं एक अन्य, जेटी (1996) 9 एससी 320, पर अवलंबन किया गया।

ए.आर. चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य, [1974] 1 एससीसी 87; वाणिज्यिक कर आयुक्त बनाम डी. सेतु माधव राव, [1996] 7 एससीसी 512; वेंकटेश्वरलु बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, [1996] 5 एससीसी 167 और बिहार राज्य बनाम बागेश्वरदी प्रसाद, [1995] अनुपूरक 1 एससीसी 432, संदर्भित।

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: 1997 की दीवानी अपील संख्या 2236।

1995 के एल.पी.ए. संख्या 815 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 2.5.96 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से बी.बी. सिंह।

उत्तरदाता की ओर से एस.बी. सान्याल और रंजन मुखर्जी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया।

विलंब को क्षमा किया जाता है। अनुमति दी गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

यह विशेष अनुमति अपील सी.ए.टी., नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. सं. 1801/94 में 31 मार्च, 1995 को पारित आदेश से उत्पन्न हुई है।

सेंट्रल हॉस्पिटल, उत्तर रेलवे में 1200-2040 रुपये के ग्रेड में ई.सी.जी. टेक्नीशियन का पद 30 नवंबर, 1993 को सेवानिवृत्ति के कारण खाली हो गया था, जिस पर श्रीमती विलियम चांद, जो एक सामान्य उम्मीदवार थीं, काम कर रही थीं। थिएटर सहायक को उस पद पर पदोन्नति देने के लिए ट्रेड परीक्षण लिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति की श्रीमती प्रकाश कौर और दो अन्य को बुलाया गया। भरी जाने वाली रिक्ति रोस्टर के चक्रानुक्रम के अनुसार अग्रसारित पद के रूप में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 8 दिसंबर, 1994 को हुए ट्रेड परीक्षण में, श्रीमती प्रकाश कौर को योग्य पाया गया और उन्हें 9 दिसंबर, 1994 से ई.सी.जी. टेक्नीशियन के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। उत्तरदाता, जो एक असफल उम्मीदवार था, ने न्यायाधिकरण में ओ.ए. दायर किया, यह तर्क देते हुए कि चूंकि ई.सी.जी. टेक्नीशियन का पद अकेला पद है, इसलिए रोस्टर के अनुसार आरक्षण असंवैधानिक है क्योंकि इससे 100% आरक्षण होगा। न्यायाधिकरण ने इस तर्क को मान लिया। तदनुसार, उसने श्रीमती प्रकाश कौर की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति को अपास्त कर दिया और निर्देश दिया कि इसे अनारक्षित पद माना जाए और नियमों के अनुसार उत्तरदाता के मामले पर पद पर

नियुक्ति के लिए विचार किया जाए। यह विवाद अब कोई अनिर्णीत विषय नहीं है। इस न्यायालय ने भारत संघ और अन्य बनाम माधव पिता-गजानान चौबल और एक अन्य, जेटी (1996) 9 एससी 320 मामले में, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ए.आर. चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य, [1974] 1 एससीसी 87; वाणिज्यिक कर आयुक्त बनाम डी. सेतु माधव राव, [1996] 7 एससीसी 512; वेंकटेश्वरतु बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, [1996] 5 एससीसी 167 और बिहार राज्य बनाम बागेश्वरदी प्रसाद, [1995] अनुपूरक 1 एससीसी 432 में संवैधानिक पीठ के फैसलों के बाद पूरे निर्णय विधि पर विचार किया। यह माना गया कि "भले ही एक ही पद हो, अगर सरकार ने रोटेशन और रोस्टर बिंदु का नियम उन खाली पदों पर लागू किया है जो सिंगल बिंदु पद पर थे और जिन्हें आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार उस बिंदु पर भरना चाहते थे जिस पर वे विचार किए जाने के योग्य थे, तो ऐसा नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) का उल्लंघन नहीं करता है", उस मामले में, नेशनल सेविंग्स स्कीम सर्विस में सेक्रेटरी का पद एक एकल बिंदु पद था, जिसके खाली पद के लिए 40 बिंदु रोस्टर बनाए रखा गया था। जब अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी का चयन चक्रानुक्रम के नियम के आधार पर पदोन्नति हेतु किया गया, तब अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त पदोन्नति संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16(1) का उल्लंघन है। उस आदेश को उलटते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

“इस तरह, सरकार ने एक ही पद के लिए चक्रानुक्रम के नियम का पालन किया है और एक ही पद के लिए 40 बिंदु रोस्टर लागू किया गया था और जब भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति उत्पन्न हुई, तो उसे भरने की कोशिश की गई, जब उम्मीदवार उपलब्ध थे। इसलिए, हम मानते हैं कि सचिव के पद की रिक्ति में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रोस्टर बिंदु संख्या 4 वैध और संवैधानिक था। जब अधिकारी उपलब्ध था और विचार किए जाने के योग्य था, तो वह नियमों के अनुसार विचार किए जाने और

सचिव के रूप में पदोन्नत होने का हकदार था। इसलिए, न्यायाधिकरण एक ही पद पर चक्रानुक्रम के नियम को लागू नहीं करने का निर्देश देने में सही नहीं था। हमारे संज्ञान में लाया गया है कि मूल पदोन्नत व्यक्ति की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और इसलिए जब भी रोस्टर के अनुसार रोटेशन के नियम के अनुसार रिक्ति उत्पन्न होगी, तो उसे कानून के अनुसार भरा जाएगा।”

तदनुसार, हम यह अभिधारित करते हैं कि 40 बिंदु रोस्टर एवं चक्रानुक्रम के नियम को लागू करते हुए ई.सी.जी. तकनीशियन के एकल पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति में श्रीमती प्रकाश कौर पर उक्त रिक्ति हेतु विचार करना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16(1) का उल्लंघन नहीं है। उक्त पदोन्नति विधिसंगत एवं वैध है। अतः अधिकरण द्वारा श्रीमती प्रकाश कौर की पदोन्नति को निरस्त करना त्रुटिपूर्ण था।

तदनुसार अपील स्वीकृत की जाती है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश अपास्त किया जाता है। याचिका खारिज की जाती है। कोई खर्च नहीं।

आर. पी.

अपील की अनुमति दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।